कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

E-mail – deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com Phone No. 07162-297009

....

क्रमांक / स्था0 / विज्ञप्त / 2022/3085 छिंदवाड़ा दिनांक – 29-03-2022

/ / विज्ञप्ति / /

संस्था में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4–60 / 2017 / 55–2, भोपाल दिनांक 06–05–2017 / 12–05–2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये है। मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. / 1 / 55 / 2018 भोपाल दिनांक 07–04–2018 के द्वारा ''मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018'' प्रतिस्थापित किया गया है, नवीन सीधी भर्ती के प्रावधान किये गये है, जिनके तहत सीधी भर्ती की जाना है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19–08–2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुए प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, ऐसे अभ्यार्थी जो कि शासन / एन.एम.सी. द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हो, इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है, एवं समस्त प्रवर्गो के आवेदक आवेदन शुल्क प्रत्येक पद हेतु रूपये 1000 / – (शब्दों मे रूपये एक हजार मात्र / –) अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के खाते मे जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करे।

Account Details	
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश से प्राप्त अनुमोदित सूची अनुसार रिक्त चिकित्सक शिक्षकों पदों की पूर्ति किया जाना है, नियुक्ति चिकित्सकीय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत होगी, सीधी भर्ती के पद प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रदर्शक, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के निम्नलिखित पदों के लिये आवेदन जमा करने की अंतिम **दिनांक** ....18.04.2022.......... **शाम 5:30** बजे तक आमंत्रित किये जाते है, तद्उपरांत प्राप्त आवेदन अमान्य रहेगे।

प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1.	आर्थोपेडिक्स	1	1	—	—	—	—
2.	जनरल मेडिसिन विभाग	1	1	—	—	—	—
3.	रेडियोडायोग्नोसिस(रेडियोलॉजी)	1	1	—	—	—	—
4.	कान,नाक एवं गला विभाग	1	1	—	—	—	—
5.	नेत्ररोग विभाग	1	1	—	—	—	—
6.	निश्चेतना विभाग	1	1	—	—	—	—
कुल योग		6	6	—	—	—	—

सह–प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर सह–प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1.	पैथोलॉजी	1	—	—	1	—	—
2.	जनरल मेडिसिन	3	1	—	1	1	—
3.	पीडियाट्रिक्स	1	1	—	—	—	—
4.	सर्जरी	1	—	—	1		—
5.	ई.एन.टी	1	1	—	—	—	—
6.	स्त्री एवं प्रसूतीरोग	1	1	—	—	—	—
7.	निश्चेतना विभाग	1	—	—	1	—	—
8.	दंतरोग विभाग	1	1	—	—	—	—
कुल योग		10	5	—	4	1	—

सहायक प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर सहायक प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	एनॉटामी	2	1	-	1	-	-
2	फिजियोलॉजी	1	-	-	1	-	-
3	बायोकेमेस्ट्री	2	1	-	1	-	-
4	फार्मेकोलॉजी	1	-	-	1	-	-
5	माइक्रोबायोलॉजी	2	1	-	1	-	-
6	फोरेंसिक मेडिसिन विभाग	1	1	-	-	-	-
7	कम्यूनिटी मेडिसिन	1	-	-	1	-	-
8	जनरल सर्जरी	1	-	-	1	-	-
9	निश्चेतना विभाग	2	1	-	1	-	-
10	रेडियोडायोग्नोसिस(रेडियोलॉजी)	1	1	-	-	-	-
कुल योग		14	06	—	8	—	—

आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी पदों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञाप्ति पद संख्या	आरक्षण रोस्टर आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	11	2+1F	1	2+1F	2	2
कुल योग		11	3	1	3	2	2

महिला चिकित्सा अधिकारी पदों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर महिला चिकित्सा अधिकारी				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	महिला चिकित्सा अधिकारी	2	1	—	1	—	—
कुल योग		2	1	—	1	—	—

उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट **www.govtmedicalcollegechhindwara.com** एवं **www.medicaleducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

1. आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधिष्ठाता कार्यालय, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनोटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.) पिन कोड–480001 मे आवेदन पत्र जमा कराये जा सकते हैं, एवं निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक के माध्यम से भेजा जाये ।

2. आवेदन पत्र डाक के द्वारा भेजे जाने पर पता स्पष्ट रूप से बिन्दु क्रमांक 01 में दर्शित पूर्ण पते पर ही भेजा जावें, शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पर विभाग का नाम............................ तथा आवेदित पद का नाम.................... और आरक्षण रोस्टर अनुसार किस वर्ग का आवेदक हैं, और किस वर्ग के रिक्त पद पर आवेदन करता है, उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। तथा आवेदन प्रारूप में किसी भी प्रकार का अपलेखन किये जाने पर आवेदन पत्र स्वयं आमान्य रहेगा।

3. सभी शार्ट लिस्टेड आवेदकों को फोन द्वारा/ई–मेल द्वारा बुलाया जायेगा। साक्षात्कार की समय सारणी कॉलेज बेवसाइट पर प्रदर्शित कि जायेगीं। साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची केवल चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट **www.govtmedicalcollegechhindwara.com** पर अपलोड की जावेगी।
4. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
5. केवल शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। यदि पद रिक्त हुए तो बाद में अन्य उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा।
6. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, जिसका अक्षरतः पालन किया जावेगा।
7. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी उम्मीदवारों के लिये बाध्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा म0प्र0

1.	**वेतनमान**	–	**नियमित नियुक्ति हेतु**
	प्राध्यापक	–	1,44,200–2,18,200 + डी0ए0
	सह प्राध्यापक	–	1,31,400–2,17,100 + डी0ए0
	सहायक प्राध्यापक	–	68,900–1,39,900 + डी0ए0
	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	–	56,100–1,77,500 + डी0ए0
	महिला चिकित्सा अधिकारी	–	56,100–1,77,500 + डी0ए0

टीप –समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. **आयु सीमा** – **न्यूनतम**

प्राध्यापक	–	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	–	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	–	25 वर्ष
आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	–	25 वर्ष
महिला चिकित्सा अधिकारी	–	25 वर्ष

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जुलाई की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

- **जाति प्रमाण पत्र** : **आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**
- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचितजाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, F = महिला पद हेतु आरक्षित है।
- आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

4. **अर्हतायें** :–

a) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

b) तालिका 1 क :– ब्रॉड स्पेशिलिटीज (एमडी/एमस) जो 10 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है, में संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए मापदंड

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर पीजी के बाद 8 साल का अनुभव	संबंधित विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी	• किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में 3 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। • कम से कम चार शोध प्रकाशन (ऐसोसिएट प्रोफेसर के रूप से कम से कम दो) होने चाहिए। (केवल ऐसे मूल, पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते है)
एसोसिएट प्रोफेसर पीजी के बाद 5 साल का	संबंधित विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी	• किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में 4 साल के लिए विषय मे सहायक प्रोफेसर के रूप में। • कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए। (केवल ऐसे

अनुभव		मूल, पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्सपैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं)
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी	• एमडी/एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष।
वरिष्ठ रेजिडेंट (चिकित्सा स्नातकोत्तर) ट्यूटर (गैर–चिकित्सा स्नातकोत्तर)	वरिष्ठ रेजिडेंट वह है जो चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी/एमएस/डीएनबी) प्राप्त करने के बाद संबंधित विभाग मे अपनी रेजिडेंसी कर रहा है। एमएससी (मेडिकल) डिग्री के साथ गैर–चिकित्सा स्नातकोत्तर को ट्यूटर कहा जाएगा, वे चाहे जिस भी विभाग में काम कर रहे हो। वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर के पद पदावधि वाले पद है जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रारंभिक नियुक्ति के समय स्नातक की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। पदावधि वाले वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर के पद संकाय पद नहीं है। पूर्व में प्रचलित अन्य सभी पदनामों को हटा दिया गया है। हालांकि, स्थायी आधार पर नियुक्त मौजूदा ट्यूटर/ डेमन्स्ट्रैटर/रजिस्ट्रार को यथा स्थिति वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर के रूप में फिर से पदनामित किया जाएगा और वे सेवानिवृत्ति तक कार्य करना जारी रखेंगे। ऊपर उल्लिखित शर्ते ऐसे वरिष्ठ रेजिडेंट/ट्यूटर/डेमन्स्ट्रैटर/रजिस्ट्रार पर लागू नहीं होंगी, जिन्हें इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है।	

तालिका 1 ख :– ब्रॉड स्पेशिलिटीज की सूची जिसमें गैर–चिकित्सा शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्तियों को संकाय (सहायक प्रोफेसर और उससे आगे) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

क्र.सं.	स्पेशिलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1	एनाटॉमी	एमएससी (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ पीएचडी मेडिसिन एनाटॉमी।
2	बायोकेमेस्ट्री	एमएससी (मेडिकल बायोकेमेस्ट्री) के साथ पीएचडी मेडिसिन बायोकेमेस्ट्री।
3	फिजियोलॉजी	एमएससी (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ पीएचडी मेडिसिन फिजियोलॉजी।

c) आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी – एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

d) महिला चिकित्सा अधिकारी – एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

5. निरर्हतायें–

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हताकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने पहले पति/पत्नि के जीवित रहते हुये पुनः विवाह किया हो अथवा किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

दिनांक 26/01/2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात अग्रिम प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्हताकारी नहीं होगा।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिए व्यक्ति स्वयं ही जबाबदेह रहेगा।

5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप प्रदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का अपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा तथ्य को छिपाते हुए नियुक्ति प्राप्त करता है तो जानकारी पता चलने पर विधि संवत कार्यवाही की जावेगी तथा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी ।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथाऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड) कम का न हो।

5.10 व्यवसायिक आचरण – संबंधित चिकित्सकीय सेवा के लिए लागू आयुर्विज्ञान परिषद् तथा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत परिषद् समय–समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदण्डों एवं आपेक्षओं के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य आचरण राज्य शासन की सेवा में कार्यरत समकक्ष व्यक्तियों पर लागू आचरण नियमों के अनुरूप लागू होगे।

6. चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति **प्रथमतः एक वर्ष की अवधि** के लिये परीवीक्षा पर होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी।

7. मध्य प्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ऐसे उम्मीदवारो को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगीं।

8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व सेवा से त्याग पत्र देने पर चिकित्सा शिक्षकों को **एक वर्ष का वेतन और मानदेय वसूल** करने के प्रावधान रहेगा, जो भी पहले हो तक संबंधित छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में सेवायें देनी होगी । आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे **01 वर्ष का वेतन/मानदेय** के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।

10. मध्यप्रदेश शासन के छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मे कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

11. **आवेदन करने की अंतिम तिथि** :– अधिष्ठाता कार्यालय, आवक जावक शाखा, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनोटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड– 480001 में आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2022 सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

13. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट "**www.govtmedicalcollegechhindwara.com**" एवं "**www.medicaleducation.mp.gov.in**" पर उपलब्ध है।

14. चयन प्रक्रिया मै किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।

15. विज्ञपित पदों का विवरण पत्रक संलग्न जिसमें आवेदन आमंत्रित है।

16. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)